न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 16/2020

दायर तारीख :– 28-02-2020

1. बिमला देवी पुत्री देवी सहाय उम्र 29 साल जाति बलाई निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

— वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

दावा बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल रैगर, अधिवक्ता वादिया
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 04.08.2020

1. वादिया ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम किशनपुरा के खसरा नंबर 89 रकबा 0.61 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर की वादिया खातेदार काश्तकार है। वर्तमान में उक्त भूमि वादिया के पिता देवीसहाय के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। हाल आराजी खसरा नंबर 89 का साबिक खसरा नंबर 48/3 था। यह है कि वादिया के दादा भूरा के एक मात्र उत्ताधिकारी वादिया के पिता देवीसहाय थे, जिनकी विधिक वारिसान वादिया एवं वादिया की माता केसरी देवी है। वादिया की माता केसरी देवी की मृत्यु दिनांक 28.04.2019 को हो चुकी है, वर्तमान में वादिया ही एक मात्र जिवित उत्तराधिकारी है। यह है कि आराजी मुतनाजा वादिया के दादा भूरा पुत्र रामदेव के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है, भूरा पुत्र रामदेव के एक मात्र संतान वादिया के पिता देवीसहाय ही थे, वादिया के पिता देवीसहाय उकत भूमि पर अपने जीवन काल में हाल आबाद काबिज काश्त रहे है। राजस्व कर्मचारियों की गलती से देवीसहाय की वल्दियत भूरा के स्थान पर उसके दादा रामदेव अंकित हो गई, जबकि वास्तविकता में देवीसहाय के पिता का नाम भूरा था एवं रामदेव देवीसहाय का दादा लगता था। जमाबंदी संवत् 2020–2023 में वादिया के दादा भूरा पुत्र रामदेव का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है जो सही है, जिससे भी प्रमाणित है कि देवीसहाय के पिता का नाम भूरा एवं दादा का नाम रामदेव है। राजस्व रिकॉर्ड में देवी सहाय पुत्र रामदेव के स्थान पर देवीसहाय पुत्र भूरा काबिले दुरूस्ती है। यह है कि वादिया के पिता देवीसहाय पुत्र भूरा अपने जीवन काल में कभी भी वाद में वर्णित आराजी भूमि को वसीयत, दान, विक्रय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है। राजस्व कर्मचारियों ने गलती से देवी सहाय पुत्र भूरा के स्थान पर देवीसहाय पुत्र रामदेव अंकित कर दिया है, जबकि वास्तविकता में देवीसहाय ही अपने जीवन काल में हाल आबाद

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

काबिज काश्त रहा है। भूरा की मृत्यु के पश्चात वादिया का पिता देवी सहाय उकत भूमि पर हाल आबाद काबिज काश्त रहा है एंव देवीसहाय की मृत्यु होने के पश्चात वादिया उक्त भूमि पर हाल आबाद काबिज काश्त रही है एवं वर्तमान में भी बिना किसी बाधा के हाल आबाद काबिज काश्त है। यह है कि साबिक खसरा नंबर 48/3 में भूरा पुत्र रामदेव के फौत होने पर राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तकरण संख्या 71 में फौतगी नामान्तकरण में गलती से देवीसहाय पुत्र भूरा के स्थान पर देवीसहाय पुत्र रामदेव अंकित कर दिया, जबकि भूरा के फौत होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी देवीसहाय की वल्दियत भूरा अंकित होनी चाहिए थी। यह है कि वाद पत्र में अंकित आराजी भूमि वादिया के दादा एवं पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादिया ही देवीसहाय पुत्र भूरा की एक मात्र जीवित उत्तराधिकारी हैं वादिया ही भूरा एवं देवीसहाय की मृत्यु होने के पश्चात से हाल आबाद काबिज काश्त रहकर काश्त करती आ रही है। एवं राजस्व लगान का भी नियमित रूप से भुगतान करती आ ही है एंव वर्तमान में भी बिना किसी बाधा के हाल आबाद काबिज काश्त है। देवीसहाय पुत्र भूरा के एक मात्र जीवित उत्तराधिकारी होने एवं भूमि पर वादिया का निरंतर कब्जा होने के कारण वादिया को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। अतः निवेदन है कि ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का बागावास अहीरान के खसरा नंबर 89 रकबा 0.61 हैक्टेयर में देवीसहाय पुत्र रामदेव के स्थान पर देवीसहाय पुत्र भूरा दुरूस्त किया जावे एवं वादिया को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। साथ ही प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिया के उपयोग–उपभोग, कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।
3. वादिया ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम किशनपुरा के खाता संख्या 69 संवत् 2076–2079, नामान्तकरण संख्या–71 भूरा पुत्र रामदेव से देवीसहाय प्रतिलिपी किता–2, नकल मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर 48/3, मृत्यु प्रमाण पत्र श्री देवीसहाय बलाई, मृत्यु प्रमाण– पत्र श्रीमती केशरी देवी, सैटलमेंट जमाबंदी की प्रति, जमाबंदी खतौनी ग्राम किशपुरा संवत् 2020–2023, आधार कार्ड बिमला देवी आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता वादिया एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम किशनपुरा के खसरा नंबर 89 रकबा 0.61 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर भूमि वादिया के पिता देवीसहाय के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। हाल आराजी खसरा नंबर 89 का साबिक खसरा नंबर 48/3 था। यह है कि आराजी मुतनाजा वादिया के दादा भूरा पुत्र रामदेव के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है, भूरा पुत्र रामदेव के एक मात्र संतान वादिया के पिता देवीसहाय ही थे, वादिया के पिता देवीसहाय उक्त भूमि पर अपने जीवन काल में हाल आबाद काबिज

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

काश्त रहे है। देवीसहाय की वल्दियत भूरा के स्थान पर उसके दादा रामदेव अंकित हो गई, जबकि वास्तविकता में देवीसहाय के पिता का नाम भूरा था एवं रामदेव देवीसहाय का दादा लगता था। जमाबंदी संवत 2020–2023 में वादिया के दादा भूरा पुत्र रामदेव का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है जो सही है, जिससे भी प्रमाणित है कि देवीसहाय के पिता का नाम भूरा एवं दादा का नाम रामदेव है। राजस्व रिकॉर्ड में देवी सहाय पुत्र रामदेव के स्थान पर देवीसहाय पुत्र भूरा काबिल दुरूस्ती है। सहवन से देवी सहाय पुत्र भूरा के स्थान पर देवीसहाय पुत्र रामदेव अंकित कर दिया है, जबकि वास्तविकता में देवीसहाय ही अपने जीवन काल में हाल आबाद काबिज काश्त रहा है। भूरा की मृत्यु के पश्चात वादिया का पिता देवी सहाय उक्त भूमि पर हाल आबाद काबिज काश्त रहा है एंव देवीसहाय की मृत्यु होने के पश्चात वादिया उक्त भूमि पर हाल आबाद काबिज काश्त रही है। पत्रावली में साक्ष्य दस्तावेजों के अनुसार साबिक खसरा नंबर 48/3 में भूरा पुत्र रामदेव के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 71 में फौतगी नामान्तकरण में गलती से देवीसहाय पुत्र भूरा के स्थान पर देवीसहाय पुत्र रामदेव अंकित कर दिया एवं हाल जमाबंदी खाता संख्या 69 में उक्त भूमि की खातेदारी देवीसहाय पुत्र रामदेव के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, परन्तु साक्ष्य दस्तावेजों का अवलोकन करने पर साबित होता है कि देवीसहाय के पिता का नाम रामदेव न होकर भूरा है, भूरा पुत्र रामदेव की फौत होने पर नामान्तकरण खोलने में देवीसहाय पुत्र भूरा करने के बजाय देवीसहाय पुत्र रामदेव कर दिया, जो कि गलत है। अतः खसरा नंबर 89 रकबा 0.61 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी में देवीसहाय पुत्र रामदेव के स्थान पर देवीसहाय पुत्र भूरा किया जाना न्यायसंगत है।

6. वादिया ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादिया का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम किशनपुरा के खसरा नंबर 89 रकबा 0.61 हैक्टेयर की खातेदारी में देवीसहाय पुत्र रामदेव के स्थान पर देवीसहाय पुत्र भूरा किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि खसरा नंबर 89 रकबा 0.61 हैक्टेयर की खातेदारी में देवीसहाय पुत्र भूरा के वारिसान की जांच कर नियमानुसार खातेदारी दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय दिनांक 04.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर
बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. बिमला देवी पुत्री देवी सहाय उम्र 29 साल जाति बलाई निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0 **— वादिया**

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **—प्रतिवादी**

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 16/2020 **दावा बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **चिंरजी लाल रैगर** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का बागावास अहीरान के खसरा नंबर 89 रकबा 0.61 हैक्टेयर में देवीसहाय पुत्र रामदेव के स्थान पर देवीसहाय पुत्र भूरा दुरूस्त किया जावे एवं वादिया को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। साथ ही प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिया के उपयोग–उपभोग, कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

सुना गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता वादिया एंव पैरोकार सरकार को सुना गया।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम किशनपुरा के खसरा नंबर 89 रकबा 0.61 हैक्टेयर की खातेदारी में देवीसहाय पुत्र रामदेव के स्थान पर देवीसहाय पुत्र भूरा किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि खसरा नंबर 89 रकबा 0.61 हैक्टेयर की खातेदारी में देवीसहाय पुत्र भूरा के वारिसान की जांच कर नियमानुसार खातेदारी दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय दिनांक 04.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य...................खर्चा इस मुक़दमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 04.08.2020** को जारी की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)